न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 110/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/181

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
अनोपाराम पुत्र राणाराम जाति मेगवाल निवासी तिरसिंगड़ी सोढ़ा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.शंकरराम पुत्र राणाराम 2.सोनाराम पुत्र मोमताराम 3.गोकलराम पुत्र राणाराम 4.शिवाराम पुत्र राणाराम 5.तुलसाराम पुत्र घमण्डाराम 6.दुरजनराम पुत्र चंपाराम 7.पकली पत्नि चंपाराम 8.पुखाराम पुत्र घमण्डाराम 9.मदनलाल पुत्र चंपाराम 10.लुम्बाराम पुत्र घमण्ड़ाराम 11.सुनिल कुमार पुत्र चंपाराम जाति मेघवाल निवासी तिरसिंगडी सोढा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 12.ग्राम पंचायत नेवरी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 13.तहसीलदार कल्याणपुर 14.शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2,8 व 10

3.विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 7 व 9 व 11 से 14 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 19/12/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिरसिंगड़ी सोढ़ा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 870/33 क्षेत्रफल 0.7365 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम तिरसिंगड़ी सोढ़ा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 870/33 क्षेत्रफल 0.7365 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 2,8 व 10 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। उक्त विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। शेष विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 7,9 व 11 से 14 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिरसिंगड़ी सोढ़ा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 870/33 क्षेत्रफल 0.7365 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिरसिंगड़ी सोढ़ा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 870/33 क्षेत्रफल 0.7365 हैक्टेयर भूमि की नेखगवन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। जबकि प्रार्थी आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तिरसिंगड़ी सोढ़ा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 870/33 क्षेत्रफल 0.7365 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमावंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना वताकर विवादित भूमि की नेखमवंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओ मे विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.05.2024 की प्रमाणित प्रति अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 870/33,871/22,82/41 की सीमाज्ञान कार्यवाही की गई,जिसमे विवादित आराजी के सेढा को लेकर विवाद की कोई टिप्पणी अंकित नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन धारा 111 मे निहित प्रावधानो के तहत बनता ही नही है,क्योकि सीमाज्ञान मौका फर्द मे विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद होने का उल्लेख नही है। अतः प्रार्थी हस्तगत प्रकरण मे राहत प्राप्त करने के हकदार नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सावित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

(अशोक कुमार) 19/12/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.12.2025 लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

19/12/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा